सं. 21011/16/2009-स्था.(भत्ते)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक; 17th जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सन्तान शिक्षा भत्ता पर स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को सन्तान शिक्षा भत्ता (सीईए) योजना पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/03/2008-स्था.(भत्ते) तथा दिनांक 13.11.2009 के स्पष्टीकरणपरक कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/16/2009-स्था.भत्ते) का हवाला देने का निदेश हुआ है, इस विभाग को विभिन्न विभागों से और भी स्पष्टीकरणों की मांग करने वाले सन्दर्भ प्राप्त हो रहे हैं । उत्पन्न हुए सन्देह निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किए जाते हैं :-

(i) क्या नसबन्दी ऑपरेशन के असफल होने के कारण दो सन्तानों के अलावा सन्तान शिक्षा भत्ता स्वीकार्य होगा ।	सन्तान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति, नसबन्दी ऑपरेशन के असफल होने के बाद पैदा हुए केवल प्रथम बच्चे के लिए स्वीकार्य है ।
(ii) क्या सन्तान शिक्षा भत्ता के कारण प्रति सन्तान प्रति वर्ष स्वीकार्य राशि (15000/- की अधिकतम वार्षिक सीमा) वित्तीय/वर्ष की अपनी पहली तिमाही में पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जा सकती है ।	यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी को पहली तिमाही में समग्र वार्षिक सीमा के अध्यधीन कुल राशि का 50% प्राप्त करने की अनुमति है और शेष राशि तीसरी अथवा चौथी तिमाही में । पहली और दूसरी तिमाही में समग्र राशि की अग्रखेप की अनुमति नहीं है । (ii) कोई सरकारी कर्मचारी अन्तिम तिमाही में 15000/- रूपए की वार्षिक सीमा के अध्यधीन पूर्ण राशि का दावा प्रस्तुत कर सकता है ।

(विभा गोविल मिश्रा)

उप सचिव (पी एण्ड ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

सं. 21011/16/2009-स्था.(भत्ते) दिनांक जून, 2011

प्रति लिपि :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक/ महालेखा नियंत्रक का कार्यालय
2. संघ लोक सेवा आयोग के सचिव / भारत का उच्चतम न्यायालय/ लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ योजना आयोग
3. राष्ट्रपति सचिवालय/ उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधान मंत्री कार्यालय
4. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन
5. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/ विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
6. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
7. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का इस अनुरोध सहित कि वह इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।

विभा

(विभा गोविल मिश्रा)
उप सचिव